भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 207
उत्तर देने की तारीख : 29.01.2026

एमएसएमई को स्वीकृत ऋण

207. **श्री नवसकनी के. :**
श्री सी.एन. अन्नादुरई :
श्री जी. सेल्वम :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न एमएसएमई सहायता योजानाओं के तहत रामनाथपुरम, तिरुवन्नामलाई और कांचीपुरम जिलों में स्वीकृत और संवितरित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ऋणों की संख्या कितनी है;

(ख) क्षेत्र-वार कितनी राशि स्वीकृत और संवितरित की गई है;

(ग) क्या इन जिलों में स्थानीय उद्यमियों की सहायता के लिए एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम, ऋण जागरूकता शिविर और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन जिलों में एमएसएमई की कृषि-आधारित, कपड़ा और मूल्य-वर्धित सेवा इकाइयों के लिए प्रदान की गई विशेष सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एमएसएमई सहयोग से अपेक्षित लक्षित रोजगार और कौशल-विकास संबंधी क्या परिणाम रहे?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : एसएलबीसी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रामनाथपुरम, तिरुवन्नामलाई और कांचीपुरम जिलों में वार्षिक ऋण योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कुल बकाया ऋण का क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

राशि करोड़ रुपए में

क्र.सं.	जिले का नाम	खादी और ग्रामोद्योग द्वारा ऋण सहित - सूक्ष्म उद्यम (विनिर्माण + सेवा)		लघु उद्यम (विनिर्माण + सेवाएं)		मध्यम उद्यम (विनिर्माण + सेवा)		एमएसएमई को अन्य निधियन (पीएसएल पर मास्टर निर्देश में जैसा कि इंगित किया गया है)		एमएसएमई को अन्य निधियन में से स्टार्ट-अप्स को 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण)		कुल	
		खाता संख्या	राशि	खाता संख्या	राशि	खाता संख्या	राशि	खाता संख्या	राशि	खाता संख्या	राशि	खाता संख्या	राशि
1	कांचीपुरम	29199	2265.11	1688	2212.36	332	883.21	77	4.61	0	0.00	31296	5365.53
2	रामनाथपुरम	16638	551.61	254	216.74	36	82.33	0	0.00	0	0.00	16928	850.68
3	तिरुवन्नामलाई	24986	1262.23	474	389.63	47	49.01	2	2.12	0	0.00	25509	1702.99

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों के समन्वय से विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता के लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान आयोजित करता है और सभी श्रेणियों के हितधारकों से भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार बनाने के लिए भौतिक कार्यशालाओं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अन्य एमएसएमई हितधारकों के साथ समन्वय करता है।

(घ) और (ङ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र में कार्यबल के कौशल में सहायता प्रदान करने और इसमें सुधार करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिसमें कृषि आधारित, कपड़ा और मूल्य वर्धित सेवा इकाइयां शामिल हैं। मंत्रालय अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना, एससी एसटी हब, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना, नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना (एस्पायर) और रामनाथपुरम, तिरुवन्नामलाई और कांचीपुरम जिलों सहित देश भर में स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास और कौशल उन्नयन कार्यक्रम संचालित करता है।

पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत सहायता प्राप्त कृषि-आधारित, कपड़ा और सेवा उद्योगों का विवरण अर्थात रामनाथपुरम, तिरुवन्नामलाई और कांचीपुरम जिलों में निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	जिला	कृषि-आधारित		सेवा उद्योग		वस्त्र	
		परियोजनाओं की संख्या	एमएम (रुपए लाख में)	परियोजनाओं की संख्या	एमएम (रुपए लाख में)	परियोजनाओं की संख्या	एमएम (रुपए लाख में)
1	कांचीपुरम	17	31.06	42	77.06	12	35.43
2	रामनाथपुरम	36	9.68	20	41.36	1	0.18
3	तिरुवन्नामलाई	44	88.18	39	76.04	7	14.62
कुल		**97**	**128.92**	**101**	**194.46**	**20**	**50.22**
